[illegible]

16 [illegible] के बाद पंचायती भवन [illegible] की लागत [illegible] / [illegible] 2,6,[illegible] की स्वीकृति हेतु [illegible] प्रस्तुत की। पंचायती भवन [illegible] 14.02.16 को पेश की।

17. पंचायती प्रस्ताव पुस्तिका / पंचायत [illegible] बार-बार आवेदन दिलाने के बावजूद भी कोई [illegible] एवं उनके अभिभावक उपस्थित नहीं। अतः दावा वापसी अंकन हजारे अंकन [illegible] खारिज किया जाता है। पंचायती [illegible] दुबारा पेश कर सकते हैं।

(विकास [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner